

कार्यालय :— जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना (म.प्र.)

निविदा—आमंत्रण

सर्वसाधारण को इस निविदा विज्ञप्ति से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय गुना के शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक एम.पी. 02-6276 को सीलबंद निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से विक्रय किया जाना है। इस विज्ञप्ति में दर्शाई गई निविदा की शर्तों के अधीन रहते हुए जो व्यक्ति उक्त वाहन क्रय करने के इच्छुक हो, वह कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना में दिनांक 04.01.18 साय 5.00 बजे निविदा प्रस्तुत सकते हैं। निविदा की शर्तों का निविदाकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से पालन न किये जाने की स्थिति में स्वयमेव निरस्त की जावेगी। निविदायें दिनांक 06.01.18 को साय 04.00 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं जो निविदाकर्ता तत्समय उपस्थित होगे, की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले वाहन की सूची निम्नानुसार है:-

सं. क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन कमांक	माडल वर्ष	निष्प्रयोजित राशि
1	एम्बेसेडर कार	एम.पी. 02-6276	2002	25000/-

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय 11 से 05 बजे तक न्यायालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphc.ni) पर भी देखा जा सकता है। एम्बेसेडर कार की निविदा के लिए निविदा की शर्त निम्नानुसार हैं—

निविदा—शर्ते

- जिला न्यायालय गुना के कमांक 01 एंबेसेडर कार जहाँ जिस हालत में हैं कि निविदा की जानी है, उसके संबंध में निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 04.01.18 तक जो भी व्यक्ति निविदा द्वारा उक्त कार क्रय करना चाहता हो वह अपनी निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 5000/- (पाँच हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित बंद लिफाफे में

रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना में प्रेषित करें।

2. नीलामी उपरांत निविदा स्वीकृत होती है तब उस निविदाकार को निविदा राशि उसी दिन नजारत अनुबिभाग, गुना में नगदी जमा कराना होगी तथा वाहन का अन्तरण आरटीओ से कराने के पश्चात् वाहन केता को सुपुर्द किया जावेगा तथा वाहन के अन्तरण का समस्त खर्च केता स्वयं वहन करेगा।

3. क्य किये गये वाहन का रजिस्ट्रेशन सुपुर्द होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर आरटीओ कार्यालय गुना से पंजीयन करवाकार इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

4. एम्बेसेडर कार की निविदा के संबंध में जितनी भी बंद लिफाफे में निविदाएँ विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 04.01.18 को सांय 05.00 तक नजारत अनुबिभाग में प्रस्तुत करें। उपरोक्त सभी निविदाएँ जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना द्वारा दिनांक 06.01.18 को सांय 04.00 बजे खोली जाएंगी और जो निविदा सबसे अधिक बोली के कारण स्वीकृत की गई होगी उस निविदाकार का नाम सूचना पटल पर चर्पा किया जाएगा।

5. जिन निविदाकारों की निविदाएँ अस्वीकृत होगी उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट उन्हें मूलतः वापिस लौटाया जावेगा।

6. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है और वह निविदा की शेष राशि जमा करवाने में असफल होता है तो धरोहर की राशि रूपये 5000/- (पच हजार) राजसात की जावेगी।

7. निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना को प्राप्त रहेगा।

8. वाहन कमांक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार निविदा स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्य संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त मान्य नहीं की जावेगी।

9. वाहन का भौतिक रूप से निरीक्षण हेतु जिला नाजिर गुना से संपर्क करे।

10. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना के पास सुरक्षित रहेगा।

~~२०१८~~ →
जिला एवं सत्र न्यायालय,
न्यायालय बहुभाषा
गुना नगर पालिका
गुना २०१८

विज्ञप्ति

जिला न्यायालय गुना के अनुपयोगी एम्बेसेडर कार मॉडल 2002 एम.पी. 02-6276 को निविदा के माध्यम से विक्रय की जाना हैं, जिसकी न्यूनतम कीमत रूपये 25000/- (पच्चीस हजार) रूपये रखी गई हैं। वाहन क्रय करने वाले इक्षुक व्यक्ति दिनांक 04.01.18 को शाम 05 बजे तक निविदा इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा की शर्ते कार्यालय समय 11 से 05 बजे तक कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं तथा शर्ते वेबसाइट www.mphc.in पर भी उपलब्ध हैं।

प्रभारी अधिकारी
नजारत अनुभाग
जिला न्यायालय, गुना

1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-20100